रिटायर्ड सैनिक ने छोटे भाई को मारी गोली, मौत

लाइसेंसी रिवॉल्वर से वारदात, 5 खोखा बरामद, हथियार के साथ एसपी के समक्ष सरेंडर

हाजीपुर (आससे)। करताहा थाना क्षेत्र के धनुषी गांव में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक को (65) हैं, जो भारतीय सेना और आयकर विभाग से सेवानिवृत्त हैं। बताया जा रहा है कि वारदात लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई है।

एक गोली सीने में और दूसरी गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान घटारो दक्षिणी वार्ड 13 निवासी स्व. जय दयाल सिंह के मंझले पुत्र सोमनाथ सिंह (60) के रूप में हुई है। आरोपी बड़े भाई सुरेश सिंह

मृतक तीन भाइयों में मंझले थे। उनका एक भाई अलग रहता है, जिसका इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। मृतक के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा विकास भारद्वाज प्रिज्म चैंपियन सीमेंट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, जबकि छोटा बेटा विभाष भारद्वाज भारतीय नौसेना में है। घटना के बाद आरोपी भाई हथियार के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद करताहा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि धनुषी गांव में सुरेश प्रसाद सिंह ने अपने सगे भाई सोमनाथ सिंह की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो सोमनाथ मृत अवस्था में मिले। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों भाइयों के बीच मकान और जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। घटनास्थल से पुलिस ने 5 खोखा बरामद किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बिजली चोरी में चार लोगों पर केस

हाजीपुर। बिजली चोरी रोकने को लेकर विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजापाकर प्रखंड के बाकरपुर बिलंदपुर में चलाए गए विशेष अभियान में चार लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। कनीय विद्युत अभियंता विक्रम कुमार के आवेदन पर राजापाकर थाने में सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार छापामार दल में सहायक विद्युत अभियंता खुशबू कुमारी, कनीय विद्युत अभियंता निशा कुमारी, टेक्नीशियन उमाशंकर शाह, मानव बल शिवनाथ पासवान, विपिन कुमार, रंजन कुमार शामिल थे। दल ने जांच के दौरान पाया कि बाकरपुर बिलंदपुर के दिलीप कुमार पिता मुन्नर राय, सीताराम राय पिता स्व. नागेश्वर राय, अशोक कुमार राय पिता दरोगा राय और रंजू देवी पति अनिरुद्ध राय के यहां बिजली बिल बकाया है। बकाया जमा नहीं कर ये सभी अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे थे। विभाग ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिक्षक-अभिभावक संगोष्ठी आयोजित

हाजीपुर। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें अभिभावकों से विद्यालय के साथ-साथ घर पर भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की गई। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजापाकर में आयोजित संगोष्ठी का मुख्य विषय 'बिहार की गौरवशाली परंपराएं' रखा गया। इस दौरान शिक्षकों एवं अभिभावकों ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, लोक परंपराओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के योगदान पर

विस्तारपूर्वक चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाध्यापक बिंदेश्वर प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ शिक्षक अमरेश कुमार ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बिहार के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना तथा उनमें अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना विकसित करना था। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बिहार की धरती प्राचीन काल से ही ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का प्रमुख केंद्र रही है। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने विश्व भर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहचान स्थापित की थी। इतिहास विषय के शिक्षक राकेश कुमार झा ने बिहार की महान विभूतियों, ऐतिहासिक स्थलों, लोकगीतों, लोककलाओं, पर्व-त्योहारों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना समय की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों के साथ-साथ अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

भूमि विवाद को लेकर मारपीट

हाजीपुर (आससे)। पूर्व के भूमि विवाद को लेकर मारपीट के मामले में खोकसा बुजुर्ग निवासी धर्मेंद्र कुमार पिता कमलदेव सिंह ने राजापाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनकी पैतृक जमीन जो दादा जगदीश सिंह के नाम से रामपुर बरमदास, थाना राजापाकर में है, उस पर विनोद सिंह पिता राम सिंगार सिंह, ग्राम खोकसा बुजुर्ग द्वारा जेसीबी चलवाया जा रहा था। उक्त जमीन को लेकर हाजीपुर न्यायालय में विवादित केस चल रहा है, जिसके विरुद्ध वे अपील में गए हैं। जेसीबी से खेत जोतने से रोकने गए तो विनोद सिंह ने गाली-गलौज की। मना करने पर हाथ में लिए हंसुआ से जान मारने की नीयत से हमला कर दिया। बचने के लिए हाथ आगे करने पर कलाई कट गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, तो आरोपी मौके से भाग गया।

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी सूचना

मालदा मंडल के भागलपुर स्टेशन में पार्किंग लॉट के संचालन के लिए उपार्जन संविदाएं प्रदान करना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, मालदा मंडल, मालदा टाउन कार्यालय भवन, डाकघर-झलझलिया, जिला-मालदा, पिन-732102 (प. बं.) (नीलामी संचालन अधिकारी) **ने मालदा मंडल के तहत भागलपुर (बीजीपी) रेलवे स्टेशन में पार्किंग लॉट के संचालन** हेतु **www.ireps.gov.in** पर ई-नीलामी सूचीपत्र प्रकाशित किया है। **नीलामी सूचीपत्र सं.: पार्किंग-22-2026। नीलामी शुरू:** 02.11.2026 को 11.00 बजे। **लॉट नं.:** पार्किंग-एमएलडीटी-बीजीपी-एमएक्स-55-26-3। **स्टेशन:** भागलपुर (बीजीपी)। आगे के विवरण के लिए प्रत्याशित बोलीदाताओं से आईआरईपीएस ई-नीलामी प्रारूप देखने का अनुरोध किया जाता है। (MLD-231/2026-27)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in** पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी सूचना

एडमिन यूनिट/जोन: सियालदह मंडल-वाणिज्यिक, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, सियालदह, कोलकाता-700 014, **ऑक्शन कैटलॉग सं.:** एसडीएएच-पार्सल-69, **नीलामी करने वाले अधिकारी:** वरिष्ठ डीसीएम। **नीलामी शुरू (सभी लॉट):** 09.11.2026 को 12.00 बजे। **नीलामी की अंतिम तिथि/समय:** 09.11.2026 को 14.00 बजे। **लगातार लॉट का समापन अंतराल :** 10 मिनट। **विवरण:** एसएलआर कोच में पार्सल जगह (सिंगल कम्पार्टमेंट) [क्रम सं. एए/1 से एए/9 के लिए] और पार्सल वैन में पार्सल जगह [क्रम सं. एबी/1 के लिए]। **क्रम सं., लॉट सं./कैटेगरी, ट्रिप/दिन, अंतिम तिथि/समय** निम्नानुसार हैं: **एए/1,** 13163-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-एसएचसी-26-1 (पार्सल-एसएलआर), 783, 09.11.2026 को 12.30 बजे, **एए/2,** 12317-एसएलआर-एफ1-केओएए-एएसआर-26-1(पार्सल-एसएलआर), 313, 09.11.2026 को 12.40 बजे, **एए/3,** 13157-एसएलआर-एफ1-केओएए-एमएफपी-26-1 (पार्सल-एसएलआर), 156, 09.11.2026 को 12.50 बजे, **एए/4,** 22587-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-बीएनआरएस-26-2 (पार्सल-एसएलआर), 470, 09.11.2026 को 13.00 बजे, **एए/5,** 12357-एसएलआर-एफ1-केओएए-एएसआर-26-1, (पार्सल-एसएलआर) 313, 09.11.2026 को 13.10 बजे, **एए/6,** 22317-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-जेएटी-26-1, (पार्सल-एसएलआर), 156, 09.11.2026 को 13.20 बजे, **एए/7,** 12259-एसएलआर-एफ1-एसडीएएच-बीकेएन-26-1, (पार्सल-एसएलआर), 626, 09.11.2026 को 13.30 बजे, **एए/8,** 12363-एसएलआर-एफ1-केओएए-एचडीबी-26-1, (पार्सल-एसएलआर), 470, 09.11.2026 को 13.40 बजे, **एए/9,** 12496-एसएलआर-एफ1-केओएए-बीकेएन-26-1, (पार्सल-एसएलआर), 157, 09.11.2026 को 13.50 बजे, **एबी/1,** 13151-13152-वीपी-1-केओएए-जेएटी-26-3 (पार्सल-पार्सल वैन), 940, 09.11.2026 को 14.00 बजे, **रेट यूनिट:** प्रति ट्रिप लाइसेंसिंग शुल्क [क्रम सं. एए/1 से एए/9 के लिए] और प्रति राउंड ट्रिप (दो तरफा) [क्रम सं. एबी/1 के लिए]। **ईएमडी** : 10 ट्रिप का बोली मूल्य (न्यूनतम 5 लाख) [क्रम सं. एए/1 से एए/9 के लिए] और 5 राउंड ट्रिप का बोली मूल्य (न्यूनतम 10 लाख) [क्रम सं. एबी/1 के लिए]। SDAH-273/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @ easternrailwayheadquarter

जेवर साफ करने की बात कहकर ले उड़े 4 लाख के गहने

महुआ (आससे)। महुआ नगर परिषद क्षेत्र के धतवारा रायमान गांव में ठगों ने एक महिला को झांसे में लेकर चार लाख रुपये के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घटना शनिवार दोपहर करीब 2-35 बजे की है। पीड़िता रेखा देवी ने महुआ थाने में आवेदन देकर बताया कि दो अनजान व्यक्ति उनके घर आए और खुद को बर्तन चमकाने वाला बताया। बातों में उलझाकर उन्होंने गहने साफ करने की बात कही। महिला ने भरोसा कर एक ढोलना, दो मंगलसूत्र, तीन झुमके और एक नथनी उन्हें दे दी। आरोपियों ने गैस चूल्हे पर केमिकल डालने का नाटक किया और जेवर को चूल्हे पर रखकर 10 मिनट में चमकने की बात कहकर मौके से फरार हो गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब महिला ने जेवर देखा तो गायब था। तब ठगी का एहसास हुआ। सूचना पर नगर परिषद के सभापति नवीन चंद्र भारती और वार्ड पार्षद मोहम्मद वसीम आलम पीड़िता के घर पहुंचे और पुलिस निरीक्षक से जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

चमरहरा वाली मैया के भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

महनार। महनार प्रखंड के चमरहरा गांव स्थित चमरहरा वाली दुर्गा मैया की पूजा सह मेला के भव्य समापन के बाद शनिवार को विशाल खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें चमरहरा सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने माता का खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। कई श्रद्धालु प्रसाद अपने घर भी ले जाते दिखे। चमरहरा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष रामनरेश सिंह और पूजा समिति के अध्यक्ष अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि चमरहरा वाली दुर्गा मैया की पूजा 142 वर्षों से बंगाली पद्धति से होती आ रही है। माता के प्रति लोगों में गहरी श्रद्धा और आस्था है। मान्यता है कि माता के दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

सिंघाड़ा में डाकघर और किराना दुकान में चोरी

महुआ (आससे)। महुआ थाना क्षेत्र के सिंघाड़ा में चोरों ने अवर डाकघर और उसके सामने स्थित किराना दुकान को

निशाना बनाया। चोरों ने डाकघर का मुख्य गेट और लॉकर का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया, जबकि किराना दुकान के स्टोर रूम से करीब एक लाख रुपये के सामान की चोरी कर ली। एक ही इलाके में दो स्थानों पर हुई वारदातों से व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार, चोरों ने देर रात अवर डाकघर सिंघाड़ा के मुख्य गेट का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अंदर रखे लॉकर का ताला तोड़ दिया और पार्सल के सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि डाकघर में क्या चोरी हुई है, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी मिलने पर डाकपाल सुमन कुमार सिन्हा सहित अन्य डाककर्मी मौके पर पहुंचे और महुआ पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डाकघर में चोरी के बाद खाली गोदरेज का फोटो भी सामने आया है। वहीं डाकघर के ठीक सामने स्थित नंदकिशोर साह की किराना दुकान के स्टोर रूम का ताला तोड़कर अंदर रखे करीब एक लाख रुपये के सामान की चोरी कर ली गई।

सुरक्षित शनिवार पर दुर्घटना से बचाव की दी जानकारी

गोरौल वैशाली (आससे)। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर कोरीगांव पर अक्टूबर माह के चौथे शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चेतना सत्र के दौरान विद्यालय के प्रधान शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने सुरक्षित शनिवार के विषय सड़क दुर्घटना से बचाव पर बच्चों को जानकारी दी। प्रधान शिक्षक ने बच्चों को बताया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटना से बचाव किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा के नियमों में दो पहिया वाहन चलातेसमय हेलमेट का पहना जाना, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट को लगाना, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना, तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना, यातायात नियमों का पालन करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करना, सड़क पार करते समय जल्दबाजी नहीं करना तथा निर्धारित स्थान से ही सड़क पार करना, पैदल यात्री हमेशा सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करें इसके अलावा दुर्घटना होने पर तुरंत 112 नंबर पर सूचना देना एवं सड़क दुर्घटना में घायलो को जल्द नजदीक के अस्पताल में पहुंचाना सहित अन्य सड़क सुरक्षा के उपायों की जानकारी बच्चों को दी गई।

ब अदालत सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण

हकियत वाद सं.-182 सन् 2021 ईस्वी

हरिशंकर साह-मुदई (वादी)

बनाम

प्रदीप साह एवं अन्य-मुदालहम् (प्रतिवादीगण)

पेपर प्रकाशन नोटिस:-

नोटिस बनाम मुदालहम्-1. किरण देवी पति स्व. प्रदीप साह, 2. अभिषेक साह पिता स्व. प्रदीप साह निवास ग्राम-नवादा बेदबलिया, पो.-पीरारी, थाना-डेरनी, जिला-सारण-प्रतिवादी

चूं बजरीये पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि वादी (मुदई) के द्वारा आप लोगों के विरुद्ध हकियत वाद सं.-182 सन् 2021 दायर किया गया है, जिसमें आप लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड डाक वो अदालत के चपरासी द्वारा सम्मन भेजने के बावजूद आप लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग दिनांक-07.12.26 को समय 10.30 बजे पूर्वाह्न सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय सोनपुर, सारण के न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई कर दी जायेगी।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक-13.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी हुआ।

आदेशानुसार

सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनमुण्डलीय व्यवहार न्यायालय

सोनपुर, सारण

वर्गीकृत

शपथ पत्र

मैं,सुबित कुमार गुप्ता, पिता मनु गुप्ता ग्राम-मराछी पो.-सेमरीया, थाना-नवतन जिला-सिवान बिहार उदघोषणा करता हूं कि शपथकर्ता के ड्राइवरी लाईसेंस में पिता नाम गलत हो गया है। मनु गुप्ता के जगह मनोज गुप्ता हो गया है, जबकि शपथकर्ता के पिता के सही नाम मनु गुप्ता है। 9/484/26

AFFIDAVIT

I, SONU KUMAR, (E&isting name as per service records) son of Mahesh Chaudhari R/o Village Baligarh, P.O.+ P.S.-Runnisaidpur, Dist.-Sitamarhi have changed my Name from SONU CHAUDHARY (Existing Name of Son/ daughter as per as per Service reocrd to SONU KUMAR (proposed/adopted New Name) Affidavit Number and date 4223/01/09/2026.

AFFIDAVIT

I, Kumari Neelu Rani, D/o Nagendra Chaudhary, W/o-Mahesh Chaudhari is legally wedded spouse of Mahesh Chaudhari presently residing at Village Baligarh, P.O.+ P.S.-Runnisaidpur, Dist.- Sitamarhi. That my date of birth has erroneously been recorded in pension records of my spouse as 20/04/1984 (DOB). That my correct date of birth is 15/03/1983. Affidavit number 4221/2026.

Affidavit

I, Ehteshamul Haque Hashmi, aged about 55 years, son of Late Syed Anwarul Haque, resident of vill.+P.O.+P.S.-Daudpur, District-Saran, Bihar-841205, do hereby solemnly affirm and declare as follows :- 1. That Safa Hashmi is my daughter. 2. That in her Aadhar card her name has been wrongly mentioned as SAF A ENTESHAM. 3. That my daughter correct name is Safa Hashmi. 4. That now my daughter will known as Safa Hashmi for all purposes.vide aff. No.-5466 dated 23.10.26 CM-935

AFFIDAVIT

I, Kumari Neelu Rani is legal daughter of Nagendra Chaudhary, W/o Mahesh Chaudhari, residing at Village-Baligarh, PO + PS-Runnisaidpur, Dist. Sitamarhi. That, I have changed my Name from Neeloo Rani Devi to Kumari Neelu Rani (Proposed New Name of wife) due to (reason for change. That both names Neelu Rani Devi (old name) and Kumari Neelu Rani (Proposed new name) pertain to one and the same person. That my date of birth is vz/®x/v~}x. Affidavit numberywww/w®w{.

Change Name

I, Priyes Kumar S/o Bikesh Verma R/o E-3, C.D.A. Colony, North Shastri Nagar, P.O.-L.B.S. Nagar, Distt.-Patna (Bihar) 800023 vide Affidavit No. 80 date 24.10.26. Now I will be known as Priyes Verma for all purposes. CM-933

Affidavit

I, Sushant Raj S/o Saroj Kumar R/o Musadpur, Choti Pahari, Sohsarai P.O.-Biharsarif Distt.-Nalanda-803101 (Bihar) vide Affidavit No.-18946 date 23.10.26 declare that in my Policy Generali Central Life Insurance Co. Ltd. Policy No. (00843846) my date of Birth 2.11.1999 and my name is mentioned as Saurabh Kumar which is wrong. That my Actual name Sushant Raj and date of birth is 29.12.1999 Acording to my Aadhar and Pan. CM-930

AFFIDAVIT

I, MOHAMMAD PERWEZ ALAM son of M FAROOQUE ALAM residing at Bhagbati Cold Stores Mahalper Biharsharif, Nalanda, Bihar- 803101 have changed the name of my minor daughter ESHIKA PARWEEN aged 15 years and she shall hereafter be known as **HEZAL ARZEN**

शपथ पत्र

मैं, गौतम कुमार पिता रणजीत सिंह ग्राम रतनुआ पोस्ट बिजौली थाना एवं जिला औरंगाबाद बिहार शपथ पूर्वक निम्न तथ्यों का बयान करता हूं कि उपरोक्त पतों का मैं अस्थाई निवासी हूं। यह की सृष्टि सिंह मेरी पुत्री है। यह कि मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय नामांकन पंजी में नाम सृष्टि सिंह एवं जन्म तिथि 25/07/2020 अंकित है,जो सही है, जबकि उसके आधार कार्ड नंबर-699683047163 में भूलवश उसके नाम पिहु सिंह एवं जन्मतिथि 25/07/ 2018 अंकित हो गया है, जो गलत है। शपथ पत्र संख्या-29235 तिथि 6/10/2026 है।

शपथ पत्र

मैं, बलिस्टर राय (BALISTAR RAI) पिता-रामलोचन राय ग्राम वो पोस्ट-सेरूकहां, थाना-मशरख, जिला-सारण, शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरे नाम से निर्गत आधार कार्ड सं.-4029 5756 3546 एवं पैन कार्ड मे मेरा नाम BALISTAR RAI एवं जन्मतिथि 1-1-1952 दर्ज हैं, जो सही हैं, जबकि टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी संख्या सी202957524 जो मेरे नाम से हैं उसमे मेरा नाम BAIRISTER RAY एवं जन्म तिथि 4-8-1969 दर्ज है जो गलत है। शपथ पत्र संख्या-24736/15-9-26 9/509/26

शपथ पत्र

मैं, बेबी तिवारी पति रविन्द्र कुमार तिवारी साकिन हंसापीर जिला छपरा सारण पिन 841417, शपथ पूर्वक बयांन करती हूं कि मेरे आधार नं- 8987 0282 7114 एवं एसबीआई, का ज्वाइन्ट खाता सं.-20116514698 जो मेरे पति रविन्द्र कुमार तिवारी एवं मैं शपथकर्ता के नाम से है, उसमे मेरा नाम बेबी तिवारी अंकित है, जबकि मेरे नाम की पॉलिसी नं.-539718136 में मेरा नाम आरती देवी अंकित हैं, बेबी तिवारी एवं आरती देवी दोनों नाम एक ही व्यक्ति का नाम है, मैं इन दोनों नाम से जानी-पहचानी जाती हूं। 9/509/26

शपथ पत्र

मै पवन कुमार सिंह पिता देवेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम- दुधैला गाछी, पोस्ट+थाना-सोनपुर, जिला सारण का निवासी हूँ शपथ पूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूँ कि मेरा पुत्र St. Karen,s High School Gola Road Patan Bihar में कक्षा 5B में पठन पाठन करता है। स्कुल के रजिस्ट्रर में मेरे पुत्र का नाम अंग्रेजी के लेटर में DIVYANSHU NAKSH अंकित है,जब कि आधार कार्ड सं.-7706 5255 3457 में मेरा पुत्र का नाम NAKSH KUMAR अंकित है जो सही है। मेरा पुत्र का जहाँ कही भी नाम DIVYANSHU NAKSH लिखा है। अब आंधार कार्ड के अनुसार NAKSH KUMAR दर्ज करने हेतु यह शपथ-पत्र है। शपथ-पत्र सं.10531 दिनांक 12/10/26

गोरियामी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लि.

प्रखंड अलौली, जिला-खगड़िया

नियुक्ति सूचना

पद- प्रबंधक (एक)-1 **योग्यता : आयु :** 18 से 45 वर्ष। **शिक्षा :** स्नातक डिग्री के साथ कम्प्यूटर Tally का अनुभव अनिवार्य। **आवेदन की अंतिम तिथि :** 11.11.2026 निर्धारित प्रपत्र में आवेदन अंतिम तिथि तक पैक्स कार्यालय में 10 बजे से 5 बजे तक जमा करें। **आयु की गणना** 11.11.2026 के आधार पर होगी। साक्षात्कार की तिथि योग्य अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित की जायेगी।

ललित नारायण मंडल

अध्यक्ष

गोरियामी पैक्स अध्यक्ष

Affidavit

I, Lucky Peter S/o Upendra Paswan (Father) and Shanti Devi (Mother) R/o North Mandiri, Buddha Colony, P.S.-Buddha Colony, P.O.-G.P.O., Distt.-Patna-800001 Bihar do hereby declare that my father's name is wrongly/inadvertently recorded in my all passing certificates and Marksheets issued by C.B.S.E. Board New Delhi bearing Roll No. 2203739. as Sabastian Lawrence. My father's correct name is **Upendra Paswan.** Aff. No. 12139 dt. 06.10.26.

Affidavit

I, Dinesh Kumar S/o Late Suresh Chaudhary R/o Road No. OOB, Indrapuri, Patna, P.S.-Patliputra, P.O.-Keshari Nagar, Bihar 800024 do hereby declare as per aff. No. 7681 dated 01.08.26 that my daughter's name is mentioned in her School admission register as Chhabi Rani which is wrong. As per Aadhar card my daughter's correct name is Chhavi Rani. Both names are same and one person. From now she shall be known as Chhavi Rani for all purposes. R. No.-932

शपथ पत्र

मैं, बेदामी देवी (BEDAMI DEVI), पति-स्व० बाबुलाल (LATE BABULAL), ग्राम-शिबूटोल, पोस्ट-नवादा, थाना+अंचल-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन कोड-८५१११९ सत्य एवं निष्ठा के साथ शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा आधार सं०-४०६८ ८८६१ २६४६ है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भूलवश (RAJIYA DEVI) एवं भूलवश मेरा जन्म तिथि ०१.०१.१६३८ दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पति के पेंशन बुक में मेरा नामBEDAMI DEVIएवं मेरा जन्म तिथि २८.०४.१६४५ दर्ज है, जो सही एवं वास्तविक है। मैंRAJIYA DEVIएवं BEDAMI DEVIये दोनों नाम का एक ही व्यक्ति मैं स्वयं हूं, मैं इन दोनों नाम से जानी व पहचानी जाती हूं। मेरा सही एवं वास्तविक जन्म तिथि २८.०४.१६४५ है, जिसका मैं उपयोग किया करती हूँ। शपथ पत्र सं.-१६१७३, दिनांक २३.१०.२०२६ है।

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वतः जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा। **प्रबंधक**

ब अदालत सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण

हकियत वाद सं.-95 सन् 2026 ईस्वी

राहुल कुमार वो.-मुदईयान (वादीगण)

बनाम

अनिल कुमार वो.-मुदालहम् (प्रतिवादीगण)

पेपर प्रकाशन नोटिस:-

नोटिस बनाम मुदालहम्-1. अनिल कुमार पिता स्व. ठाकुर राय ग्राम सिकंदरा, पो. मंगरपाल, थाना-दरियापुर, जिला-सारण, (2) जयमाला देवी पति संजय कुमार ग्राम-टरवां मंगरपाल, थाना-दरियापुर, जिला-सारण-प्रतिवादीगण (मुदालहम्)

चूं बजरीये पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि वादीगण (मुदईयान) के द्वारा आप लोगों के विरुद्ध हकियत वाद सं.-95 सन् 2026 दायर किया गया है, जिसमें आप लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड डाक वो अदालत के चपरासी द्वारा सम्मन भेजने के बावजूद आप लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग दिनांक-02.11.26 को समय 10.30 बजे पूर्वाह्न सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय सोनपुर, सारण के न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई कर दी जायेगी।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक-13.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी हुआ।

आदेशानुसार

सिविल जज (सीनियर डिविजन) द्वितीय

अनमुण्डलीय व्यवहार न्यायालय

सोनपुर, सारण

ब अदालत मुन्सिफ,

मोकाम-सोनपुर, जिला-सारण।

विविध वाद सं.-06 सन् 2026 ईस्वी

राजेन्द्र सिंह वगैरह-आवेदकगण

पुष्पा देवी एवं अन्य-प्रतिवादीगण (मुदालहम्)

पेपर प्रकाशन नोटिस:-

नोटिस बनाम (मुदालह) प्रतिवादी-1. पुष्पा देवी जौजे शंभू सिंह साकिन मौजा-सैदपुर, हाल-रहीमपुर, थाना हाल-पहलेजा, जिला-सारण, 2. बब्लू सिंह, 3. संतोष सिंह, 4. विपिन सिंह वल्दान स्व. देव सकल सिंह, तीनों ग्राम-सैदपुर नौडिहां, पो.-रहीमपुर, थाना-पहलेजा, जिला-सारण, 5. आरती देवी पति अमिका सिंह पुत्री स्व. देव सकल सिंह, ग्राम वो पो.-अधमा, थाना-अधमा, जिला--विपक्षीगण

चूं बजरीये प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण के द्वारा आप लोगों के विरुद्ध विविध वाद सं.-06 सन् 2026 दायर किया गया है, जिसमें आप लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड डाक वो अदालत के चपरासी द्वारा सम्मन भेजने के बावजूद आप लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः पेपर प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग दिनांक-02.11.26 को समय 10.30 बजे पूर्वाह्न अवर न्यायाधीश सोनपुर, सारण के न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आप लोगों के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई कर दी जायेगी।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक-30.9.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी हुआ।

मुन्सिफ

अनमुण्डलीय व्यवहार न्यायालय

सोनपुर, सारण

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना संख्या: SRDEE-TRD-IZN-2026-27-T15 Date- 22.10.2026

खुली ई-निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर/टीआरडी, पूर्वोतर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु "खुली" ई-निविदा आमंत्रित करते है।

क्र.स. 1:- कार्य का नाम: SRNK-KSJ, सेक्शन में 408/10-11 एवं BEM - UJH सेक्शन में 375/02/03/04 पर NHAI के ROB के निर्माण के सम्बंध में OHE में संशोधन। टेंडर रिफरेश नं. SRDEE-TRD-IZN-2026-27-T15, कार्य का अनुमानित लागत रुपया में: ₹23,33,055.06, धरोहर राशि रुपया में: ₹46,700.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपया में: शून्य, निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: 17.11.2026, 11:00, कार्य पूरा करने की अवधि: 12 माह,

खुली ई-निविदा दिनांक 17.11.2026 को 11.00 बजे तक जमा कर सकेंगे। पूर्ण विवरण जानने हेतु एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in,** पर देखें।

वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर/टीआरडी

मुजाधि/विद्युत-237 **इज्जतनगर**

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

आसनसोल मंडल में विकास संबंधी कार्य के लिए ट्रेनों की नियंत्रण व्यवस्था

आसनसोल मंडल के खाना-आसनसोल खंड में अंडाल में फुट ओवर ब्रिज स्थापित करने के साथ-साथ दुर्गापुर में आर्च ब्रिज नंबर 396ए को हटाने के लिए, **दिनांक 23.12.2026 (बुधवार)** को मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक आवश्यक होगा। इसके परिणामस्वरूप, निम्नलिखित निम्नलिखित ट्रेनें निम्नानुसार नियंत्रित की जाएंगी:-

- **मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का निरस्तीकरण: (1) 12023/12024** हावड़ा-पटना-हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस (दोनों के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(2) 22321/22322** हावड़ा - सिउड़ी - हावड़ा हूल एक्सप्रेस (दोनों के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(3) 22387** हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(4)22388** धनबाद-हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 22.12.2026); **(5) 11447** जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 21.12.2026); **(6) 11448** हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(7) 13151** कोलकाता-जम्मू तवी एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 19.12 और 23.12.2026); **(8) 13152** जम्मू तवी-कोलकाता एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 21.12 और 25.12.2026); **(9) 19608** मदार जंक्शन-कोलकाता एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 21.12.2026); **(10) 19607** कोलकाता-मदार जंक्शन एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 24.12.2026); **(11) 12988** अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 22.12.2026); **(12) 12987** सियालदह - अजमेर एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(13) 12319** कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(14) 12320** ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस (यात्रा शुरू दिनांक 24.12.2026)।
- **एमईएमयू ट्रेनों का निरस्तीकरण : (1) 63514, 63516, 63518, 63522** आसनसोल - बर्द्धमान एमईएमयू (सभी के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(2) 63550** अंडाल-बर्द्धमान एमईएमयू (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(3) 63552** आसनसोल-अंडाल एमईएमयू (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(4) 63524** आसनसोल - बर्द्धमान एमईएमयू (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(5) 63511, 63513, 63515, 63517, 63521, 63549** बर्द्धमान-आसनसोल एमईएमयू (सभी के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(6) 63531** अंडाल-सांइथिया एमईएमयू (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(7) 63530** रामपुरहाट-अंडाल एमईएमयू (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026); **(8) 63533/63534** अंडाल - सांइथिया - अंडाल एमईएमयू (दोनों के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026)।
- **मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन: 12317 कोलकाता-अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) और **12318 अमृतसर-कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 22.12.2026) को दोनों दिशाओं में खाना-आसनसोल-सीतारामपुर-झाझा-किऊल के बदले खाना-सांइथिया-रामपुरहाट-गुमानी-भागलपुर-किऊल होकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। **15271 हावड़ा - मुजफ्फरपुर जन साधारण एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) और **13105 सियालदह - बलिया एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) को खाना - आसनसोल - सीतारामपुर - झाझा - किऊल के बदले खाना - सांइथिया - रामपुरहाट - गुमानी - भागलपुर - किऊल होकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। **12381 हावड़ा - नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) और **12382 नई दिल्ली - हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 22.12.2026) को दोनों दिशाओं में खाना-आसनसोल-सीतारामपुर-प्रधानखुंटा-धनबाद-गया-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.के बदले खाना - सांइथिया - रामपुरहाट-गुमानी - भागलपुर - किऊल - गया - पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं. होकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। **13042 जम्मू तवी-हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस** (यात्रा शुरू दिनांक 21.12.2026) को किऊल-झाझा-सीतारामपुर-आसनसोल-खाना के बदले किऊल-भागलपुर-गुमानी-रामपुरहाट-सांइथिया-खाना होकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा।
- **एमईएमयू ट्रेनों की संक्षिप्त यात्रा समाप्त/संक्षिप्त यात्रा शुरू:** 63509/63510 **बर्द्धमान - झाझा - बर्द्धमान एमईएमयू** (दोनों के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) आसनसोल स्टेशन से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी/आसनसोल स्टेशन में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी। 63519/63520 **बर्द्धमान-बोकारो स्टील सिटी-बर्द्धमान एमईएमयू** (दोनों के लिए यात्रा शुरू दिनांक 23.12.2026) आसनसोल स्टेशन से संक्षिप्त यात्रा शुरू करेगी/आसनसोल स्टेशन में संक्षिप्त यात्रा समाप्त करेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्टेशनों की जनसंबोधन प्रणाली का पालन करें। असुविधा के लिए खेद है।

मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल

पूर्व रेलवे

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

स्टेशन मुख्यालय, (ईसीएचएस सेल),गया-823005, फोन : 0631-2950882/8544486902, ई-मेल : **shqgaya@echs.gov.in**

रोजगार सूचना

1. ईसीएचएस द्वारा **भागलपुर, सासाराम, मुंगेर और खगड़िया** में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स (वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान) के लिए, जिसे आवश्यकता और उम्मीदवारों की पात्रता और कार्यप्रदर्शन स्तर को पूरा करने के अधीन एक और वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है, अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित स्टाफ की नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

आवश्यकताएँ	पात्रता	अपेक्षित मैनपावर की संख्या	निश्चित मासिक पारिश्रमिक
कार्यालय प्रभारी पॉलीक्लिनिक	केवल सेवानिवृत सेवा अधिकारी, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना, जो रक्षा बजट से CDA के माध्यम सेस पेंशन प्राप्त कर रहे हों।	01 पॉलीक्लिनिक सासाराम के लिए	रू.95,000/-
चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस	01 पॉलीक्लिनिक भागलपुर के लिए	रू.95,000/-
नर्सिंग असिस्टेंट	GNM डिप्लोमा/क्लास-1 कोर्स (सशस्त्र बल)	01 पॉलीक्लिनिक मुंगेर के लिए	रू.36,500/-
चौकीदार	सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए कक्षा 8वीं या जीडी ट्रेड	01 पॉलीक्लिनिक सासाराम के लिए	रू.21,800/-
महिला परिचारिका	साक्षर	01 पॉलीक्लिनिक खगड़िया के लिए	रू.21,800/-

2. **नियम व शर्तें,** आवेदन पत्र, पारिश्रमिक के लिए, कृपया ईसीएचएस वेबसाइट **www.echs.gov.in** देखें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल), गया से टेलीफोन नंबर-0631 2950882,**8544486902** या 09:30 बजे से 14:00 बजे की बीच और ईमेल आईडी **shqgaya@echs.gov.in** पर संपर्क करें। भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवाकर्मीयों की विधवायें को वरीयता दी जाएगी। **3. ईसीएचएस वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।** अपेक्षित प्रारूप के अनुसार आवेदन, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के साथ **20-11-2026** को 14:00 बजे तक ओआईसी, स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल), गया को जमा किया जाना चाहिए। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। **4. साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान-** अल्पसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवार (ई-मेल के माध्यम से सूचित) को **25-11-2026** को 10:30 बजे **स्टेशन मुख्यालय, गया** में 10:30 बजे से शुरू निर्धारित साक्षात्कार के लिए अवश्य पहुंचना चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय 10 वीं/मैट्रिक, 10+2 और स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/ पाठयक्रम के सभी मूल प्रमाण पत्र/अंकतालिका/डिग्री, कार्य अनुभव और डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड और **02X** पीपी साइज के रंगीन फोटोग्राफ लाने होंगे। **कोई टीए/डीए देय नहीं है।** केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। **5.** नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के पास विज्ञापित आवश्यकता को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है।